को पेश हो।

21/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित/
उभयपक्ष विरुद्ध इश्तहार के अनुपस्थित/न्यायालय
द्वारा तीन-तीन बार आवाजे लगवाई गई/अतः
तकरीर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
तहत आदेश 09 नियम 03 जा0दी0 के
तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला
शुमार होकर रेकर्ड लायक से कम होकर
दाखिल दफ्तर है। फैसला शुले न्यायालय
मे सुनाया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर झील

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.03 16:14:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner